(31)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2018/1347 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-12-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 601/अपील/2011-12

---

श्रीमती अलका गुप्ता पत्नी हर्ष गुप्ता
निवासी शब्द प्रताप आश्रम ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1-श्रीमती विनीता प्रधान पत्नी स्व0श्री तिलक प्रधान
2-कु.सुचि पुत्री स्व.श्री तिलक प्रधान नाबालिग
सरपरस्त मॉ श्रीमती विनीता प्रधान
निवासीगण प्रधान साहब का बाडा, लश्कर,
ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदकगण

---

श्री एन0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
अनावेदिकापक्ष एकपक्षीय

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 6/2/19 को पारित)**

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका के द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 169/190/110 के अन्तर्गत पुरानी छावनी की भूमि सर्वे क्रमांक 747, 748 कुल रकबा 0.230 हेक्टेयर पर निरन्तर काबिज होने एवं अतिरिक्त जिला जज़ ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2ए/2004 ई.दी. में पारित आदेश दिनांक 30-3-2005 के अनुक्रम में नामान्तरण की मांग की गई । तहसील न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/2007-08/अ-46 दर्ज कर कार्यवाही की गई एवं दिनांक 24-12-2009 को धारा 169 के अधिकार दिये जाकर धारा 190/110 की कार्यवाही निरस्त की गई । तहसील न्यायालय की इस कार्यवाही के विरूद्ध तिलक प्रधान के द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11-5-2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अपर आयुक्त द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 एवं असंयोजन पर आदेश पारित न करते हुये बिना बहस श्रवण किये प्रकरण का गुणदोषों पर निराकरण कर दिया जबकि अनावेदकपक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-12-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 8-11-2011 के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, इस कारण अनावेदकों की अपील अवधि बाहय होने से इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य थी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा असंयोजन के दोष के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर भी कोई विचार नहीं किया गया और अनुविभागीय अधिकारी ने गुणदोषों पर आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत् नहीं है ।

(2) तहसील न्यायालय में रहे पक्षकारों को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये पक्षकार के असंयोजन के कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि पूर्वक नहीं था और अपर आयुक्त द्वारा भी अभिलेख में उक्त तथ्य समाविष्ट. होते हुये भी उनको अनदेखा कर आवेदिका की अपील निरस्त करने में भूल की गई है ।

(3) आवेदक ने माननीय उच्चतम न्यायालय का एस.एल.पी. नम्बर 38329/2012 आदेश दिनांक 14-11-2018 भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 6-12-2012 के आदेश को निरस्त किया गया है तथा उक्त आदेश के प्रकाश में निर्णय करने का अनुरोध किया गया ।

अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत् रखे जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदिकापक्ष के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में नायब तहसीलदार ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के प्रकरण क्रमांक 2ए/2004 में पारित आदेश जिसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक पक्ष का आधिपत्य माना गया है तथा खसरों आदि की प्रविष्टि को आधार बनाकर आवेदक के पक्ष में निर्णय दिया था । जिसकी समयबाधित अपील बिना समय सीमा में छूट का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार किया है । अनुविभागीय अधिकारी ने एक बार जब अतिरिक्त जिला जज ने यह मान लिया था कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक पक्ष का पुराना तथा विधिवत प्राप्त आधिपत्य है, जिसे हटाने के लिये समय सीमा में अनावेदक ने संहिता की धारा 250 की भी कार्यवाही नहीं की तब उन्होंने किस आधार पर तहसील के निष्कर्ष को गलत माना, यह स्पष्ट नहीं है । अपर आयुक्त ने इस आधार पर तहसील न्यायालय के निर्णय को अमान्य किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील क्रमांक 295/2005 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2012 द्वारा अपर जिला न्यायाधीश का निर्णय निरस्त किया जा चुका है । अब आवेदक ने माननीय उच्चतम न्यायालय का एस.एल.पी. नम्बर 38329/2012 में दिनांक 14-11-2018 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया गया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भूमि पर आधिपत्य के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले है, वह बिना आधार के हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय को पुन:निर्णय लेने के निर्देश दिये है । प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का जो भी अंतिम निर्णय होगा वह उभयपक्ष पर बन्धनकारी होगा।

6/ वर्तमान में विधि की स्थिति यही है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 06-12-2012 निरस्त होने से अपर जिला न्यायाधीश का निष्कर्ष पुन: प्रभाव में आ गया है । ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय में निष्कर्ष के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के निर्णय विधिनुकूलन नहीं होने से स्थिर नहीं रखे जाने से निरस्त किये जाते हैं । नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 24-12-2009 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

**(मनोज गोयल)**
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर